

FORM No. III

Crime-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत...सहायक कलक्टर. मुकाम...खीवसर...

कस्म मुकदमा...राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,88,188 आर टी एक्ट

रामूराम बनाम चम्पा

मु. नं. 158/2022 सन्. 2022.

ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज 12.09.2022	नम्बर व तारीख अहकाम की तामील में जारी हुए
---------	--	--

तहसीलदार ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,88,188 आर टी एक्ट के तहत पेश किया जो दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। पत्रावली दिनांक 27.09.2022 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
खीवसर

27/9/22

वकील वादी/प्रार्थी के निवेदन पर पत्रावली भाषण पेश हुई। वकील वादी व प्रार्थी ने आवेदन पेश कर ज्वेल किया - की एम पत्रकारों के मध्य शर्जीनामा लो चुका है, इसलिए मैं इस परकरण को आगे नहीं चलाया जायता है जारी विज्ञापन खारीफ किया जावे

राजस्व
Tamm
[Signature]

अतः वकील वादी/प्रार्थी के निवेदन पर उक्त आवेदन स्वीकार किया जायेगा है तथा वादी का वाद/प्रार्थक जारी विज्ञापन खारीफ किया जाता है पत्रावली फिलम शर्जत होकर घर वाकत व दाखील दस्त है

सहायक कलक्टर
(SDO), खीवसर